रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2013/ चैत्र 9, 1935

No. 749] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2013/CHAITRA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

का.आ. 857(अ).—यत:, मै. डॉ. फ्रेश हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड, जो एक निजि संगठन है, ने हरियाणा राज्य के ग्राम धामरोज, तहसील सोना, गुडगांव जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 593(अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 23.429 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया एवं अधिसूचना संख्या का.आ. 3079 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 द्वारा 3.2829 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 14 दिसम्बर, 2011की अनाधिसूचना संख्या का.आ. 2793(अ) में 1.378 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अनाधिसूचित किया;

और यत:, मै. डॉ. फ्रेश हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड, ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.382 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 0.382 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 25.716 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या/ रैक्टंगल	किला नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुडगांव	65	10	0.382 हेक्टेयर
			कुल	**0.382 हेक्टेयर**

[फा. सं. एफ.-2/203/2006-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

S.O. 857(E).—Whereas , M/s. Dr. Fresh Health Care Private Limited, a private organisation, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Ghamroj, Tehsil Sohna, District Gurgaon in the State of Haryana;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the areas of 23.429 hectares and 3.2829 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 593(E) dated 17th April, 2007 and S.O. 3079 (E) dated 31st December, 2010 respectively;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had de-notified an area of 1.378 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 2793 (E) dated 14th December, 2011;

And, Whereas M/s. Dr. Fresh Health Care Private Limited, has now proposed to include an area of 0.382 hectares to the above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 0.382 hectares as part of the above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 25.716 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

Serial No.	Name of Location	Survey/Rectangle Number	Killa Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gurgaon	65	10	0.382
			Total	**0.382**

[F: No.F.-2/203/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.